



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़
जिला श्रीगंगानगर (राज.)
01509-220006, 223877 (ऑफिस)
फैक्स-01509-220068, 223877 (ऑफिस)

पत्राक/सी0एस0एफ0/एस.ओ.जी./2-65/पल्ले/2014

दिनांक:-

अल्पकालीन-निविदा-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ खण्ड संख्या 1, 2 व 3 की रबी 2014-15, जायद 2015 व खरीफ 2015 के उत्पादन की पल्लेदारी, उत्पादन उतारना, सूखाना व साफ सफाई आदि कार्य हेतु मुहरबन्द निविदाएं दिनांक 23.3.2015 को अपरान्ह 2:30 बजे तक आमन्त्रित की जाती है, जो उसी दिन सांय 3:00 बजे फार्म मुख्यालय पर खोली जायेगी यदि 23.3.2015 निस्तारण नहीं हुआ तो अगली वैकल्पिक तिथि 28.3.2015 को निविदाएं आमन्त्रित की जायेगी। एक ठेकेदार को एक से ज्यादा खण्ड का ठेका नहीं दिया जायेगा। निविदाएं देने से पहले रुपये 25,000.00 मात्र प्रत्येक के लिए (पल्लेदारी व उत्पादन उतारना व साफ सफाई के लिए) अमानत राशि का डीडी जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो, जमा करानी होगी। सफल निविदादाता की धरोहर राशि कार्य सन्तोषतनक ढंग से पूर्ण होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी तथा असफल निविदादाताओं की राशि चैक द्वारा लौटा दी जायेगी। ठेकेदार को पेन नम्बर, वोटर पहचान पत्र की प्रति देनी जरूरी है। अन्य नियम व शर्तें रुपये 200/- नकद जमा करा कर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9.30 बजे से सांय 5 बजे तक अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्त निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)

1. निविदा प्रपत्र के साथ इस कार्यालय में धरोहर राशि रुपये 25,000/- मात्र का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो, फार्म खंजाची के पास निविदा सूचना दर्शायी गई दिनांक व समय पर जमा करवाने होंगे। तभी निविदा प्रपत्र मान्य होंगे। अन्य किसी प्रकार से विभिन्न पत्र जैसे बिल या प्रतियां स्वीकार नहीं होगी।
2. परिस्थितियों को देखते हुए उसी दिन न्यूनतम निविदादाताओं में से ही नियमानुसार नेगोसियेशन किया जायेगा। शर्त संख्या 1 के अनुसार मान्य निविदा प्रपत्र वालों को ही बोली में सम्मिलित किया जायेगा।
3. सफल बोलीदाता ठेके के लिए निर्धारित नियम व शर्तों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगा। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत शर्त ऑफर अस्वीकार होगी तथा उन्हें रद्द (निरस्त) समझा जायेगा।
4. ठेके के नियम व शर्त को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ या उन्हीं के द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पास सुरक्षित होगा।
5. रबी 2014-15, जायद 2015 व खरीफ 2015 में उत्पादित होने वाली विभिन्न फसलों की कुल अनुमानित मात्रा 1 लाख क्विंटल है। यह मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है तथा ठेकेदार को अनुमानित मात्रा से अधिक उत्पादन होने पर भी उन्हीं दरों पर कार्य करना होगा।
6. पल्लेदारी के विभिन्न कार्यों का विवरण इस प्रकार है, बोरी भराई, बोरी सिलाई, बोरी को ट्रक/ट्रॉली में लादना, बोरियों को ट्रक/ट्रॉली से उतारना, तथा विनोइंग सेन्टर या गोदाम में 18 बोरियों की ऊंचाई तक चट्टा लगाना बोली प्रति क्विंटल की दर से होगी।
7. न्यूनतम बोली स्वीकार होने के सम्बन्ध में लिखित सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को भेज दी जायेगी जिसको प्राप्ति के बाद कार्य शुरू करना होगा।
8. ठेकेदार का कार्य सन्तोषप्रद पूर्ण हो जाने के बाद अमानत राशि बिना व्याज लौटा दी जायेगी।
9. निगम विभिन्न कार्यों के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा फर्म को भी ठेका अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हैं।
10. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता (एग्रीमेन्ट) रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर जो ठेकेदार द्वारा खरीदा जायेगा, पर करना होगा।
11. पल्लेदारी के कार्य के दौरान जैसे लोडिंग अनलोडिंग या चट्टा लगाते समय ठेकेदार के किसी श्रमिक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए फार्म कतई जिम्मेवार नहीं है।
12. ठेकेदार, निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ को लिखित आज्ञा के बिना ठेके का हस्तान्तरण किसी अन्य ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं कर सकेगा।
13. ठेकेदार को किसी भी समय श्रमिकों सहित 24 घण्टे पूर्ण ईमानदारी, सत्य निष्ठा और शीघ्र कार्य करने के लिये तत्पर रहना होगा, ताकि फार्म के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
14. ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों का भुगतान ठेकेदार द्वारा समय-2 पर किया जायेगा, ठेकेदार द्वारा यदि उसके द्वारा लगाए श्रमिकों के भुगतान में लापरवाही करता है तो उसकी जिम्मेदारी फार्म की नहीं होगी।
15. ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित दरों पर निर्धारित अवधि में कार्य करने के सम्बन्ध में आनाकानी करने या निर्धारित शर्तों की पूर्ति न किये जाने पर यदि किसी प्रकार का नुकसान अथवा हानि फार्म को होगी तो वह रकम ठेकेदार के बिल से कटौती योग्य होगी एवं उसकी धरोहर राशि जब्त करली जायेगी तथा फार्म द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या फर्म से ठेकेदार की जोखिम व जिम्मेवारी पर कार्य करवा लिया जायेगा तथा इस प्रकार जो फार्म को नुकसान होगा वह ठेकेदार के बिल से काट लिया जायेगा।
16. यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार के किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष-सह-निदेशक को सन्दर्भित किया जायेगा जिसको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं में अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बिटेटर) के द्वारा विवाद का निपटान आर्बिटेशन एवं कोन्सिलेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराएँ/पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
17. आर्बिटेशन एवं कोन्सिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्यायक्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बन्धित होगा।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन)

**विनोडिंग सेंटर पर उत्पादन उतारना,सूखाना व साफ सफाई आदि कार्यो हेतु ठेका देने के सम्बन्ध में नियम व शर्तें रबी 2014-15
खरीफ 2014 व जायद 2015**

1. निविदा प्रपत्र के साथ इस कार्यालय मे धरोहर राशि रुपये 25,000/- मात्र का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो, फार्म खंजाची के पास निविदा सूचना दर्शायी गई दिनांक व समय पर जमा करवाने होंगे। तभी निविदा प्रपत्र मान्य होंगे। अन्य किसी प्रकार से विभिन्न पत्र जैसे बिल या प्रतियां स्वीकार नहीं होगी।
2. परिस्थितियों को देखते हुए उसी दिन न्यूनतम निविदादाताओं में से ही नियमानुसार नेगोसियेशन किया जायेगा। शर्त संख्या 1 के अनुसार मान्य निविदा प्रपत्र वालों को ही बोली में सम्मिलित किया जायेगा।
3. सफल बोलीदाता ठेके के लिए निर्धारित नियम व शर्तों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होगा। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत शर्त ऑफर अस्वीकार होगी तथा उन्हें रद्द (निरस्त) समझा जायेगा।
4. ठेके के नियम व शर्त को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ या उन्हीं के द्वारा अधिकृत व्यक्ति के पास सुरक्षित होगा।
5. रबी 2014-15 ,जायद 2015 व खरीफ 2015 में उत्पादित होने वाली विभिन्न फसलों की कुल अनुमानित मात्रा 1 लाख क्विंटल है। यह मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है तथा ठेकेदार को अनुमानित मात्रा से अधिक उत्पादन होने पर भी उन्हीं दरों पर कार्य करना होगा।
6. विनोडिंग सेंटर पर विभिन्न कार्यो का विवरण इस प्रकार होगा, उत्पादन उतारना,सूखाना व साफ सफाई करना, बोरी भराई, बोरी सिलाई,आदि कार्य करना । दर प्रति क्विंटल देनी होगी।
7. न्यूनतम बोली स्वीकार होने के सम्बन्ध में लिखित सूचना सम्बन्धित ठेकेदार को भेज दी जायेगी जिसको प्राप्ति के बाद कार्य शुरू करना होगा।
8. ठेकेदार का कार्य सन्तोषप्रद पूर्ण हो जाने के बाद अमानत राशि बिना व्याज लौटा दी जायेगी ।
9. निगम विभिन्न कार्यो के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा फर्म को भी ठेका अपनी सुविधा अनुसार दे सकते है ।
10. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता (एग्रीमेन्ट) रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर जो ठेकेदार द्वारा खरीदा जायेगा, पर करना होगा ।
11. उत्पादन उतारना,सूखाना व साफ सफाई, बोरी भराई, बोरी ढुलाई, बोरी सिलाई,आदि कार्य के दौरान ठेकेदार के किसी श्रमिक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए फार्म कतई जिम्मेवार नहीं है।
12. ठेकेदार, निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ को लिखित आज्ञा के बिना ठेके का हस्तान्तरण किसी अन्य ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं कर सकेगा।
13. ठेकेदार को किसी भी समय श्रमिकों सहित 24 घण्टे पूर्ण ईमानदारी, सत्य निष्ठा और शीघ्र कार्य करने के लिये तत्पर रहना होगा, ताकि फार्म के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े ।
14. ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों का भुगतान ठेकेदार द्वारा समय-2 पर किया जायेगा, ठेकेदार द्वारा यदि उसके द्वारा लगाए श्रमिकों के भुगतान में लापरवाही करता है तो उसकी जिम्मेदारी फार्म की नहीं होगी।
15. ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित दरों पर निर्धारित अवधि में कार्य करने के सम्बन्ध में आनाकानी करने या निर्धारित शर्तों की पूर्ति न किये जाने पर यदि किसी प्रकार का नुकसान अथवा हानि फार्म को होगी तो वह रकम ठेकेदार के बिल से कटौती योग्य होगी एवं उसकी धरोहर राशि जब्त करली जायेगी तथा फार्म द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या फर्म से ठेकेदार की जोखिम व जिम्मेवारी पर कार्य करवा लिया जायेगा तथा इस प्रकार जो फार्म को नुकसान होगा वह ठेकेदार के बिल से काट लिया जायेगा।
16. यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार के किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दषा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष-सह-निदेशक को सन्दर्भित किया जायेगा जिसको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं में अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बिटेटर) के द्वारा विवाद का निपटान आर्बिटेसन एवं कोन्सिलेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराएं/पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दषा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिटेसन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
17. आर्बिटेसन एवं कोन्सिलिएसन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्यायक्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बन्धित होगा।

सेवा में,

श्रीमान निदेशक महोदय,
के०रा०फार्म, सूरतगढ़।

महोदय जी,

विषय:— पल्लेदारी कार्यों के लिये टेण्डर।

ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित दर प्रति क्विंटल रबी 2014–2015 , जायद 2015 व खरीफ 2015

क.स	कार्य का विवरण (क.)	खण्ड संख्या – 1	खण्ड संख्या – 2	खण्ड संख्या – 3
1	बोरी भराई			
2	बोरी सिलाई			
3	ट्रक/ट्राली में लादना			
4	ट्रक/ट्राली से उतारना			
5	गोदाम में 18 बोरियों की ऊँचाई तक चट्टा लगाना			
	कुल योग			

हस्ताक्षर

ठेकेदार का नाम व पता.....

.....
.....
.....

सेवा में,

श्रीमान निदेशक महोदय,
के०रा०फार्म, सूरतगढ़।

महोदय जी,

विषय:— उत्पादन को उतारना,सूखाना व साफ करना आदि कार्यों के लिये टेण्डर।

ठेकेदार द्वारा प्रस्तावित दर प्रति क्विंटल रबी 2014–2015 , जायद 2015 व खरीफ 2015

क.स	कार्य का विवरण (ख.)	खण्ड संख्या – 1	खण्ड संख्या – 2	खण्ड संख्या – 3
1	रबी 2014.15, जायद 2015 व खरीफ 2015 के उत्पादन को विनोइन्ग सेन्टर पर उतारना व मौसम खराब होने पर उत्पादन को ठकना ।			
2	सरसों,तोरिया, उर्द, ग्वार, मूंग व अन्य फसलों के उत्पादन की सफाई करना, बोरी भरना, सिलाई करना			
3	चना सफाई करना			
4	जौ,चना व धान या अन्य उत्पादन को सूखाना			

हस्ताक्षर

ठेकेदार का नाम व पता.....

.....
.....
.....